भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3002

दिनांक 18 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

.....

पंजाब में बाढ़ के कारण सिंचाई अवसंरचना को नुकसान

3002. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2023 और वर्ष 2025 की बाढ़ों के दौरान पंजाब में क्षतिग्रस्त सिंचाई नहरों, तटबंधों, ट्यूबवेलों और जल-आपूर्ति संरचनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) पंजाब राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बहाली की कुल अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसी चल रही योजना के अंतर्गत बहाली हेतु जारी की गई केंद्रीय सहायता की राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग): केंद्रीय स्तर पर सिंचाई नहरों, तटबंधों, ट्यूबवेलों और जल आपूर्ति संरचनाओं के क्षति आंकड़ों का रखरखाव नहीं किया जाता है।

पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2025 की बाढ़ के दौरान रावी, ब्यास, सतलुज और घग्गर नदियों पर क्षतिग्रस्त तटबंधों की कुल लंबाई 21.36 किलोमीटर है। पंजाब सरकार ने क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मत पर 192 करोड़ रुपए खर्च किए।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मापदंडों के अनुसार, अपने पूर्व-निर्धारित राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत कार्य करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है और आवश्यक रसद एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित मूल्यांकन शामिल है। एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के तहत राज्यों को आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण गृह मंत्रालय की आपदा प्रबंधन वेबसाइट अर्थात ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध है। दिनांक 30.11.2025 तक, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान एसडीआरएफ के तहत पंजाब को 481.60 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है।

*****